संख्या:–   / ।।(2)–2019–03(03)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक** 02 ~~जून~~ जुलाई, **2019**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2018–19 में फ्लड प्लेन जोनिंग मद के अन्तर्गत अवशेष कार्यो की वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1595/प्र0अ0/बजट/बी–1 (सामान्य), दिनांक 06.05.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड "बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण" के अन्तर्गत गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण कार्यों के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं के लिए शासनादेश संख्या–861/2018–11–03(03)/2018, दिनांक 17.05.2018 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 371.16 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 321.06 लाख के व्यय के दृष्टिगत अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 50.10 लाख (रू0 पचास लाख दस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

क्रमशः.....................2

(X) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–80–सामान्य–800–निर्माण–08–फ्लड प्लेन जोनिंग–00–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVIII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 में दिये गए दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किए जा रहें है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या:– 705 (1)/ II(2)–2019–03(03)/2018,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
अपर सचिव।